ANNEXURE - II

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940
No. 575] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

संचार मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 781(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2015, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग में बहुकार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**–

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग (बहुकार्य कर्मचारिवृंद) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर:**– पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि:**– भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हताएं.**– **वह व्यक्ति,**–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **सेना डाक सेवा में सेवा करने की अपेक्षा.–** उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्त कोई व्यक्ति अपेक्षानुसार भारत में या भारत से बाहर सेना डाक सेवा में सेवा करने का दायी होगा।

6. **षिथिल करने की शक्ति.–** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति.–** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों और उन रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व–सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

भाग–I प्रशासनिक कार्यालयों के पद (सर्कल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय)

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
बहुकार्य कर्मचारिवृंद	510* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** 1. आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)। 2. रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, आमंत्रित किए गए आवेदनों के लिए समाप्त होने वाली तारीख या वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। 3. ग्रामीण डाक सेवकों और नैमित्तिक मजदूरों की दशा में ऊपरी आयु सीमा नहीं है।	(i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा पास। (ii) संबंधित राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा की जानकारी। उम्मीदवार ने कम से कम दसवीं कक्षा तक स्थानीय भाषा का अध्ययन किया हो। राज्य अथवा संघ राज्यक्षेत्र की स्थानीय भाषा वही होगी जो डाक विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। (iii) नैमित्तिक श्रमिक की सीधी भर्ती के लिए किसी प्रकार की शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु सीमा और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष तथा डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण पूरा किया हो।	(i) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस के आधार पर अस्थायी प्रास्थिति प्रदत्त नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर, (ii) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस आधार पर 1 सितम्बर, 1993 तक या उससे पूर्व लगे हुए विद्यमान ऐसे अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों, जो दिन में आठ घंटे के लिए कार्यरत हैं, की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iii) ज्येष्ठता—सह—फिटनेस के आधार पर 1 सितम्बर, 1993 को या उससे पूर्व लगे हुए अंशकालिक नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति से जिसके न हो सकने पर, (iv) सर्कल के सभी डिवीजनों के केवल उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा जिन्होंने रिक्ति वर्ष की पहली जनवरी को उस क्षमता में तीन वर्ष तक नियमित रूप से कार्य किया हो अथवा भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर, (v) डाक विभाग द्वारा समय—समय पर परिचालित स्कीम के अनुसार खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा, टिप्पणः 1. ऊपर उल्लिखित परीक्षा, डाक विभाग द्वारा सेना डाक सेवा और खुली प्रतियोगिता से आवेदकों की चयनित सूची बनाने के मानदंडों, परीक्षा के पाठ्यक्रम तथा पैटर्न आदि के संबंध में समय—समय पर जारी अनुदेशों के अधीन शासित होगी। 2.*(ग्रामीण डाक सेवक सिविल पद धारक होते हैं परन्तु वे नियमित सिविल सेवा से बाहर होते हैं, जिसके कारण उनकी नियुक्ति सीधी भर्ती द्वारा ही की जाएगी।)	लागू नहीं होता	विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे— (i) सहायक महा डाकपाल या ज्येष्ठ समयमान अधिकारी या कनिष्ठ समयमान अधिकारी— अध्यक्ष; (ii) समूह 'क' या समूह 'ख' (राजपत्रित) डाक/रेल डाक सेवा अधिकारी — सदस्य; (iii) डाक सर्किल या केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का कार्यालय का समूह 'ख' (राजपत्रित) अधिकारी — सदस्य;	लागू नहीं होता

भाग—II अधीनस्थ कार्यालयों के पद